

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 22/2025

(Bank Case)

GCMS No. 2025/173

Omkara Assets Reconstruction Private Ltd. (Trustee of Omkara PS06/2021-22 Trust): Registered Office at No. 9, M.P. Nagar, First Street, Kongu Nagar Extn., Tirupur-641607 and corporate office at Kohinoor Square, 47th Floor, N.C. Kelkar Marg, R.G. Gadkari Chowk, Dadar (West), Mumbai-400028 (Assignee of Indusind Bank) Through its Authorized Officer Mr. Vinod Pungaliya

— प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

1. M/s Excellent Surfactant (Borrower) Proprietor : Mrs Anita Kumari
Address: Plot No.-32, Nano Nagar, Bhadana, Kota City-324002 (Raj.)
—(ऋणी / बंधककर्ता)
2. Mrs Anita Kumari (Guarantor/ Mortgagor) W/o Mr. Narendra kumar Vaishnav
Address: 153, Kotwali ki gali, sunaro ke Mandir ke pass, Rampura, kota city-324006 (Raj.)
3. Mr. Narendra kumar Vaishnav (Guarantor) Alias: Mr. Narendra kumar Vaishnav S/o Mr. Mohandas Vaishnav
Address: 153, Kotwali ki gali, sunaro ke Mandir ke pass, Rampura, kota city-324006 (Raj.)
4. M/s Vaishnav Home Products (Guarantor) Proprietor: Mr. Narendra Kumar Vaishnav
Address: H.No. 40, Gali no 4, Saraswati colony, Roteda Road, -kota city-324002 (Raj.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:—

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: ०७.01.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी Omkara Assets Reconstruction Private Ltd. (Trustee of Omkara PS06/2021-22 Trust): Registered Office at No. 9, M.P. Nagar, First Street, Kongu Nagar Extn., Tirupur-641607 and corporate office at Kohinoor Square, 47th Floor, N.C. Kelkar Marg, R.G. Gadkari Chowk, Dadar (West), Mumbai-400028. अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 29.08.2018 को खाता संख्या RAQ00005N में रूपये 14,00,000 /—(अक्षरें: चौदह लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति **H.No. 40, Saraswati colony, Village- Bhadana, Tehsil- Ladpura, kota -324002 (Raj.)** में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में— प्लॉट नं० 41, पश्चिम में— रोड 20' चौडा, उत्तर में— प्लॉट नं० 57, दक्षिण में—

1

प्लॉट नं0 30, है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यवधान व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 06.06.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों में 14,76,704/- (अक्षरों चौदह लाख, छियत्तर हजार सात सौ चार रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 15.03.2022 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एकट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 22.06.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 22.06.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की अचल सम्पत्ति **H.No. 40, Saraswati colony, Village- Bhadana, Tehsil- Ladpura, kota -324002 (Raj.)** में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में- प्लॉट नं0 41, पश्चिम में- रोड 20' चौड़ा, उत्तर में- प्लॉट नं0 57, दक्षिण में- प्लॉट नं0 30, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 07.01.2026 को सुनाया गया।


(पीयूष शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

